अनुस्मारक–1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–02.

संक्फा0 05(09)/2011–क0सं0 एवं भाषा/2652 से 2803 दिनांक: 14/x/2011

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली।
3. विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष/महाप्रबंधक, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
6. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झंडेवालान, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली।
8. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

विषयः हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइप कक्षाओं का गठन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों मे हिन्दी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के अभाव को कम करने के लिये दिल्ली सरकार का भाषा विभाग हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देता है ताकि दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने में कोई असुविधा न हो। उपरोक्त प्रशिक्षण निम्नलिखित पते पर दिया जाता है :–

1. **हिन्दी टाईप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, कमरा नं0 20 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाई बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली।**

हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष तथा हिन्दी टाइप प्रशिक्षण की अवधि छठ माह तथा समय एक घंटा प्रतिदिन होगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग/कार्यालय के हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइप सीखने के लिये इच्छुक कर्मचारियों के नाम दिनांक 05.10.2011 तक इस विभाग में भिजवाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग ने भाषा विभाग में अपने कर्मचारियों के नाम उपर्युक्त कक्षाओं के लिये नहीं भेजे है। आपसे पुनः अनुरोध है कि **दिनांक 01.11.2011** तक इस विभाग को अपने कर्मचारियों के नाम भिजवा दें ताकि समय रहते कक्षाएं आरंभ की जा सके। यहा पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण के लिये नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि यह जानकारी में आया है कि कुछ कर्मचारी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये अपने कार्यालय से चल पड़ते है लेकिन प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये उनके विभागों को लिखा जायेगा। हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइप प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपरोक्त विभाग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मचारियों के नाम **हिन्दी शिक्षण योजना (टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण/स्कंध), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार या सेवाएं–3 विभाग** के माध्यम से हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण परीक्षा देने के लिये उनके पास नाम भेजे जाते है।

टीपः संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in पर देखी जा सकती है।

भवदीया

शकु0 14/x/11

(शकुन्तला जोशी)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

संक्फा0 05(09)/2011–क0सं0 एवं भाषा/2804 से 2805 दिनांक: 14/x/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. हिन्दी टाईप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, कमरा नं0 20 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाई बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली।
2. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस परिपत्र को भाषा विभाग की वेबसाइट में डालने से संबंधी।

14.10.11

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)